

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

जयपुर, दिनांक : 08.03.2019


आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर प्रशासनिक कारणों से लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	डा. राजकुमार, चिकित्सा अधिकारी	सीएचसी नागोलाव पीसांगन अजमेर से ईएसआई डिस्पेंसरी नं 2 अजमेर के लिए स्थानान्तरणाधीन	ईएसआई नं 1 जयपुर	डा. राजेश गुप्ता के स्थान पर
2.	डा. राजेश गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी	ईएसआई नं 1 जयपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नागोलाव पीसांगन अजमेर	रिक्त पद पर
3.	डा. असरफ अली पटान, प्रमुख विशेषज्ञ (शिशु रोग)	राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर से सीएचसी विराटनगर जयपुर के लिए स्थानान्तरणाधीन	राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर	डा. गौरव मेहता के स्थान पर
4.	डा. गौरव मेहता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विराटनगर जयपुर	रिक्त पद पर
5.	डा. योगेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी	आदेशों की प्रतीक्षा से पदस्थापनाधीन पीएचसी सरवडी सीकर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दांतारामगढ सीकर	रिक्त पद पर
6.	डा. अंजना खींची, चिकित्सा अधिकारी	ईएसआई नं 10 जयपुर से ईएसआई बगरू जयपुर के लिए स्थानान्तरणाधीन	ईएसआई नं 10 जयपुर	डा. शुभ्रांशू जैन के स्थान पर
7.	डा. शुभ्रांशू जैन, चिकित्सा अधिकारी	ईएसआई नं 10 जयपुर	ईएसआई बगरू जयपुर में	रिक्त पद पर


क्रम संख्या 2, 4, 5 एवं 7 पर अंकित अधिकारियों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से लोक हित में किये जाने के कारण इन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

उक्त आदेश पंचायती राज विभाग की आज्ञा क्रमांक : एफ.4(1)सशक्ति./विधि/पंरा/2018/ 814 दिनांक 16.06.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)डीओपी/ए-2/86 दिनांक 08.02.2013 के डीएसीपी नियमों में प्रावधान है कि "if there is no vacancy for granting DACP available, The post held by the candidate shall be converted into the post on which the candidate is to be promoted till he/she will hold that post". कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना की पालना में उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त सचिव (जीबी), मा. मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके पत्र क्रमांक 181/168 दिनांक 06.03.2019 एवं 05.03.2019 के संदर्भ में।
- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्यमंत्री, महोदय
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
- निदेशक (जन स्वास्थ्य/ई.एस.आई.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जौन राज.
- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- संबंधित अधिकारी
- कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव